

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—13/2023 (2023/46) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. डलीदेवी पत्नि देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतननाथ पिता मीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुखानाथ पिता मीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भज्जानाथ पिता मीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. श्यामनाथ पिता मीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सायरीदेवी पत्नि मीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रावतनाथ पिता हजारीनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. श्रवणनाथ पिता डुंगरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारा पिता हजारी गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उगमकंवर पत्नि हरदेवसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभु पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. माला पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लेहरू पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरू पुत्री भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपरिस्थित


1. पूनम नाथ सपेरा —

निर्णय

प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक 04.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3100/215 रकबा 0.97 है0 भूमि खाता संख्या 515 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशाना नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने को कई मर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण टालमवाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.11.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम वार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु



Handwritten signature or mark.

विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 व 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 6 की अदम तामिल होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थीगण खातेदार हैं और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3100/215 रकबा 0.97 है 0 भूमि खाता संख्या 515 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
सहायक कलेक्टर
रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—13/2023 (2023/46) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. डालीदेवी पत्नि देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतननाथ पिता भीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुखानाथ पिता भीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भज्जानाथ पिता भीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. श्यामनाथ पिता भीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सायरीदेवीपत्नि भीठानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रावतनाथ पिता हजारीनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. श्रवणनाथ पिता दुंगरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारा पिता हजारी गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उगमकंवर पत्नि हरदेवसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभु पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. माला पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लेहरू पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरू पुत्री भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.03.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3100/215 रकबा 0.97 है0 भूमि खाता संख्या 515 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा